Date of Order or Proceeding	Order of Proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
30.05.2024	**शिवेन्द्र कुमार टेकाम, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी धमतरी, जिला धमतरी छ0ग0** दाण्डिक प्रकरण क्रमांक–2216/2022 शासन वि0 वागीस यादव आदेश दिनांक–30.05.2024 .... राज्य द्वारा ए.डी.पी.ओ. उपस्थित। आरोपी वागीस यादव अनुपस्थित। प्रकरण आरोपी की उपस्थिति/फरारी साक्ष्य हेतु नियत है। इस स्तर पर अरोपी की गिरफ्तारी वारंट की अदम तामिली कर तामिलकर्ता साक्षी प्रधान आरक्षक क्रमांक 185 जामवंत देशमुख थाना अर्जुनी फरारी पंचनामा सहित उपस्थित। प्रकरण में तामिल कुनिंदा प्रधान आरक्षक क्रमांक 185 जामवंत देशमुख का फरारी साक्ष्य लेखबद्ध किया गया, जिसमें उक्त साक्षी ने कथन किया है कि वारंटी के निवास पते पर जाकर पता किया गया तो अभियुक्त वागीस यादव सकुनत में नहीं होना पाया गया। उक्त वारंटी के पते पर नहीं मिलने एवं भविष्य में मिलने की संभावना नहीं है। जिस पर वारंट अदम तामिल न्यायालय में प्रस्तुत है। प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से दर्शित है कि प्रकरण क्रं. 2216/2022 शासन विरूद्ध वागीस यादव, अपराध क्र. 193/2022 धारा 341,294,323,506 भा.द.वि. में अभियुक्त वागीस यादव, पिता छननू यादव,उम्र–28 वर्ष, साकिन पोटियाडीह थाना अर्जुनी जिला धमतरी छ0ग0 की उपस्थिति हेतु इस न्यायालय से गिरफतारी वारंट दिनांक 25.05.2024 को जारी किया गया था। आरोपी लगातार दिनांक 04.04.2024 से अनुपस्थित है। थाना प्रभारी के द्वारा उसे उक्त गिरफ्तारी वारंट की तामीली हेतु दिया गया था। उसने वारंटी के पते पर जाकर वहां उपस्थित साक्षीगण से पूछताछ किये तो उक्त वारंटी के संबंध में वहां विगत पांच माह से नही रहना व्यक्त किया गया। अभियुक्त फरार है अथवा वारंट के निष्पादन को विफल करने हेतु स्वयं को छुपा रहा है, जिसके कारण अभियुक्त के निकट भविष्य में मिलने	

	की संभावना नही होती है। तामिल कुनिंदा के द्वारा प्रस्तुत गिरफ्तारी वारंट एवं कथन के आधार पर आरोपी के निकट भविष्य में मिलने की संभावना दर्शित नहीं होता है। अतः आरोपी वागीश यादव को धारा 299 द0प्र0सं0 के तहत फरार घोषित किया जाता है। उक्त आरोपी की उपस्थिति हेतु स्थायी गिरफ्तारी वारंट पुलिस अधीक्षक धमतरी के माध्यम से जारी किया जावे। प्रकरण समाप्त। प्रकरण का परिणाम दर्ज कर अभिलेख अभिलेखागार समयावधि के भीतर प्रेषित किया जावें। सही / – **शिवेंद्र कुमार टेकाम** **न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी** **धमतरी (छ.ग.)**	